


भाग - IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए )

प्रस्ताव सं० - PP/UP/ Others/ 33502/ 2018

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय सम्बंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए )	CF Allahabad की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है।  14/2
----	---	--

दिनांक :---

14/2/2020

स्थान

Pankaj Misra  
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer  
Forest Conservation Act, 1980  
U.P. Lucknow

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर